संशोधित

उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादन

कार्यालय आदेश सं0 12

दिनांक 31.03.2021

उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल हेतु सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड शासन न्याय अनुभाग–1 ने पत्र सं0 123/XXXVI-A-1/2021-208/2020 देहरादून दिनांक 26 मार्च, 2021 के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण की खण्डपीठ नैनीताल में सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के एक रिक्त पद पर आबद्धता हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं, जिन्हें व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, से शैक्षिक एवं व्यवसायिक प्रमाण पत्रों तथा गत तीन वर्ष के आयकर प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं।

अतः इच्छुक अर्ह अधिवक्ता गण, अपने आवेदन पत्र प्रभारी निबन्धक को संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक के माध्यम से विलम्बत्म दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून में प्रेषित कर दें। दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

लिफाफे पर यह अवश्य अंकित करें कि आवेदन पत्र सहायक प्रस्तुत अधिकारी के नियुक्ति के संबंध में है।

Shweta Lang
संयुक्त निबन्धक
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण
देहरादून

प्रतिलिपि–

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को कृपया सूचनार्थ।

Shweta Lang
संयुक्त निबन्धक
उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण
देहरादून